

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग - 3
(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

1. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है।
(हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न
करे।

नहीं।

2. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

सहमत।

3. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ सिफारिशें।

अनुशंसा की जाती है।

स्थान :- कांकेर

दिनांक :- 31/11/18

नाम Hbater
Chief Conservator of Forest
Kanker Circle, Kanker

सरकारी मोहर